न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–109 / 18 (225 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2018 / 00127

उनवान

1. श्रीमन पुत्र ख्याली उम्र 42 वर्ष
2. पिंटू पुत्र ख्याली उम्र 35 वर्ष
3. बदरी पुत्र भौंदू उम्र 53 वर्ष
4. रमेश पुत्र भोंदू उम्र 48 वर्ष
5. संजय पुत्र बत्तू 22 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी तिमावा तहसील नादौती जिला करौली राजस्थान।

....अपीलांटस् / वादी।

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र रतनलाल
2. मलखान पुत्र हटीला
3. मनोज पुत्र हटीला
4. चिरंजी पुत्र रामहेत

समस्त जातियान मीना निवासीयान तिमावा तहसील नादौती जिला करौली राजस्थान।

5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नादौती
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक गुढा चन्द्रजी
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक गुढा चन्द्रजी

....रेस्पोडेन्टस् / प्रतिवादी।

उपस्थितः–

1. श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्टस् अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 31.03.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ नादौती जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 77 / 2017 बउनवान रूपसिंह वगैरह बनाम चिरंजी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरुद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1799 रकबा 19 ऐयर भूमि स्थित ग्राम तिमावा तहसील नादौती जिला करौली है, जो वादी के कब्जे काश्त की भूमि है। करीब 20 साल से अधिक समय से वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात को वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से संवत् 2056 में खरीद किया था। जिसकी लिखापढी बही मे दर्ज है। उक्त आराजीयात राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादीगण बदनियति से उक्त आराजीयात पर कब्जा करने को आमदा है। अतः प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद पत्र इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न स्वयं करे न दीगर से करावें तथा आराजीयात को रहन वय नहीं करे। मातहत अदालत ने लोक अदालत मेगा कैम्प पंचायत समिति नादौती में दिनांक 29.06.2018 को आदेश पारित किया कि वादी के कब्जे काश्त में मुल दावे के निस्तारण तक किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा न करें तथा उक्त आराजीयात को अन्य किसी को रहन वय न करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने उक्त पत्रावली अपनी पिछली आदेशिका दिनांक 17.05.18 को वादी/अपीलांट को वास्ते जवाब हेतु 26.07.18 नियत की गई थी परंतु मातहत अदालत ने अपीलांट को अलग तारीख बताकर और अपनी पिछली आदेशिका मे कांटछांट कर 26.07.18 को 29.06.18 बना दिया। दिनांक 29.06.18 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा मे पेश कर, अपीलांट को बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत, जवाब पेश किये ही निर्णित कर दी। जबकि लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पत्रावली केवल राजीनामे के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही निर्णित की जा सकती है। मातहत अदालत ने वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है जिसका आदेश दिनांक 29.06.18 में भी उल्लेख है। ऐसी स्थिति में मातहत अदालत को मेरिट के आधार पर निर्णय कर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.2018 को अपास्त किया जावें। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय जानकारी वादी/अपीलांट को नही दी। निर्णय की जानकारी जब अपीलांट जमाबंदी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने निर्णय और अपील निर्णित होने की जानकारी दी। तत्पश्चात्

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट ने दिनांक 13.09.2018 को न्यायालय मे जाकर निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 24.09.18 को नकल प्राप्त की। उसके बाद अपीलांट की माता के बीमार होने से अपीलांट उनकी देखभाल में लग गये। उनके स्वस्थ होते ही यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति दी जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
7. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नही फरमाया तथा अपीलांट द्वारा फाईमा फेसी केस सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिंदु अपने पक्ष मे साबित है फिर भी मातहत अदालत ने अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है जबकि प्राईमा फेसी केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिंदु रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे कतई साबित नही है जबकि राजस्व मण्डल का स्पष्ट मत है कि 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रत्येक बिंदु पर अपना मत पारित करना चाहिये था जो नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.06.18 को अपास्त फरमाया जावें।
8. अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

9. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम तिमावा पटवार क्षेत्र गुढ़ाचन्द्रजी तहसील नादौती के खसरा नंबर 1799 रकबा 0.19 है0 पिन्टू पिसरान ख्याली सन्ती बेवा ख्याली सूआबाई, मूली, गल्ला, सुनीता, गिन्दोडी पुत्री ख्याली, रतन पुत्र पांच्या, बत्तू बदरी पुत्र भौंदू, बदरी पुत्र भौंदू जाति मीना सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। **प्रथमः**– पत्रावली को लोक अदालत मे निर्णित किया गया है। लोक अदालत में केवल सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। अदालत मातहत की आदेशिका मे कही पर भी उभयपक्ष की सहमति के हस्ताक्षर अंकित नही है। **द्वितीयः**– अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तीनो घटकः– (1) प्रथम दृष्ट्या (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन नही किया गया है कि किस प्रकार तीनों ही प्रार्थी के पक्ष मे संनिहित है।
इस प्रकार उक्त आदेश एक **"स्पीकिंग ऑर्डर"** नही होने के कारण आदेशों की श्रेणी में नही आता है।

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती के मुकदमा संख्या 77/2017 बउनवान रूपसिंह वगैरह बनाम चिरंजी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 को खारिज किया जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 31.03.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
31.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner